लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2287
उत्तर देने की तारीख : 15.03.2022

आरक्षण नीति

2287. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण के आलोक में, क्या सरकार की अभी भी शिक्षा और रोजगार में प्रवेश 50% से अधिक आरक्षण नहीं देने की नीति बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा के भीतर होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो 50% से अधिक की आरक्षण सीमा को कानूनी रूप से संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) और (ख): इंदिरा साहनी मामला डब्ल्यूपी(सी) में रिट याचिका संख्या 1990 की 930 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर, 1992 के अपने निर्णय में यह फैसला लिया कि संविधान के अनुच्छेदों 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इन अनुच्छेदों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को अनुच्छेदों 15(6) और 16(6) के तहत सरकार द्वारा आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन अनुच्छेदों को संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा शामिल किया गया था। अत: ईडब्ल्यूएस को दिया गया 10% आरक्षण, अनुच्छेदों 15(4) और 16(4) के तहत दिए गए आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन नहीं करता है।

(ग): अनुच्छेदों 15(5) और 16(6) के प्रावधानों के तहत ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा 10% आरक्षण अनुच्छेदों 15(4) और 16(4) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण से अलग है और यह कानूनी रूप से संरक्षित है।

*****